राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	3412/2023	कमल मावर	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	श्री कमलेश शर्मा एवं सुश्री प्रज्ञा सेठ
2.	3413/2023	आकाश मित्तल	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	
3.	256/2024	नेमी चन्द	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	

आदेश की दिनांक : 04.03.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इन समस्त अपीलों में विषय बिन्दू एक ही है। अतः समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा हैं।
2. अपीलार्थीगण ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी कमल मावर, लेब असिस्टेंट (Toxicology Department) की कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर पदोन्नति होनी है। अपीलार्थी आकाश मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (Toxicology Department) की वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही होनी है और अपीलार्थी नेमी चन्द, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अस्त्रक्षेप) की पदोन्नति वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अस्त्रक्षेप) के पद पर होनी है। अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण की पदोन्नति पर विचार इस आधार पर नहीं किया जा रहा है कि अपीलार्थीगण के पास कम्प्यूटर विषय की निर्धारित योग्यता नहीं है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण के पास कम्प्यूटर विषय की निर्धारित योग्यता है। ऐसे में अपीलार्थीगण पदोन्नति के लिये पात्र है।
3. उल्लेखनीय है कि तीनों अपीलों में इस अधिकरण द्वारा डीपीसी की कार्यवाही आगामी आदेशों तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। वर्तमान में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग ने हमारे समक्ष यह तथ्य प्रकट किया है कि कम्प्यूटर योग्यता के सम्बन्ध में गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 06.11.2023 को प्रस्तुत की जा चुकी है, जो निम्न प्रकार से है :–

> ''गठित कमेटी की बैठक इस कार्यालय के मीटिंग नोटिस क्रमांक 13920–24 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा दिनांक 06.11.2023 को दोपहर 03.00 बजे राज्य

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आयोजित की गई। जिसमें कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. कम्प्यूटर संबंधी योग्यता के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./NIELIT(DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/ निजी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कम्प्यूटर कोर्स की अवधि कम से कम 03 माह की होना आवश्यक है।
2. सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमो में वांछित कम्प्यूटर संबंधी योग्यता में सर्टिफिकेट कोर्स के अन्तर्गत RS-CIT मान्य होगा।
3. स्नातक डिग्री में तीनों वर्षों में एक विषय कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी. होने पर ही मान्य होगा।
4. स्नातकोत्तर डिग्री में दोनो वर्षों में एक विषय कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी. का होने पर ही मान्य होगा।
5. बी.टेक. डिग्री में कम से कम 04 सेमेस्टर में एक विषय कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी. का होने पर ही मान्य होगा।
6. एम.टेक. डिग्री में कम से कम 02 सेमेस्टर में एक विषय कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी. का होने पर ही मान्य होगा।''

4. उपरोक्तानुसार रिपोर्ट में कमेटी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। अतः जब कमेटी द्वारा योग्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है तो हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाना उचित पाते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण की कम्प्यूटर विषय की योग्यता के सम्बन्ध में जांच कर डीपीसी की कार्यवाही की जाए। इस आदेश के साथ तीनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण डीपीसी द्वारा लिये गये निर्णय से असहमत हो तो वो नये सीरे से अधिकरण के समक्ष अपील करने के लिये स्वतंत्र है।

5. मूल आदेश अपील संख्या 3412/2023 में एवं छाया प्रति अन्य दोनों अपीलों में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)